रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 355] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 1998/भाद्र 17, 1920
No. 355] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 1998/BHADRA 17, 1920

IndiaCode

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1998

सा. का. नि. 569(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 64) की धारा 15 की उपधारा के खंड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्तें) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 64) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(च) "उपाध्यक्ष" से आयोग का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

3. **श्रेणी और प्रतिष्ठा**—(1) अध्यक्ष की स्तर संघ उप मंत्री के समान होगी।

(2) उपाध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के होंगे।

4. **वेतन और भत्ते**—(1) अध्यक्ष उस दर पर मासिक वेतन और भत्तों का हकदार होगा जो संघ के उप मंत्री को अनुज्ञेय होंगे।

(2) उपाध्यक्ष और सदस्यों को भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए, यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य संसद या राज्य विधान सभा का सदस्य है तो वह संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित भत्तों के अतिरिक्त किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा या यथास्थिति उन भत्तों से भिन्न, यदि कोई है, जो राज्य विधान सभा का सदस्य

राज्य में तत्समय प्रवृत, राज्य विधान सभा की सदस्यता की निरर्हता निवारण संबंधी किसी विधि के अधीन बिना ऐसी निरर्हता उपगत किए प्राप्त कर सकता है।

5. **बाल सुविधा.**—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य ऐसी सरकारी बाल सुविधा के उपयोग के पात्र होंगे, जो ऐसी बाल सुविधा को शासित करने वाले सुसंगत नियमों के अधीन उपलब्धता के अधीन, अनुज्ञेय है।

6. **यात्रा किराया भत्ते.**—अध्यक्ष आयोग के कार्यों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा की गई यात्राओं की बाबत उस दर पर यात्रा किराया भत्ते और दैनिक भत्ते का हकदार होगा जो संघ के उप मंत्री को अनुज्ञेय है और उपाध्यक्ष और सदस्य उस दर पर इन भत्तों के हकदार होंगे जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय है।

7. **अवकाश.**—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित छुट्टियों के हकदार होंगे—

(क) समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार उपार्जित छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी, और

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन असाधारण छुट्टी जो कि अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है।

8. **सेवा निवृत्त व्यक्तियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में आयोग में नियुक्ति के लिए उपबंध.**—जहां सरकार या किसी स्थानीय निकाय या सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले प्राधिकरण के अधीन सेवा से निवृत्त व्यक्ति, ऐसी निवृत्ति के पश्चात् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसको अनुज्ञेय वेतन में से पेंशन और किसी अन्य रूप में निवृत्ति कायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम की जाएगी। यदि व्यक्ति की नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाती है तो उसका वेतन समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन पाने वाले पुनर्नियोजितों के वेतन का नियतन) आदेश, 1986 के अनुसार विनियमित होगा।

9. **स्थायी या अस्थायी रिक्तियों के मामले में व्यवस्था.—**

(1) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है तो जब तक यथास्थिति नया अध्यक्ष पद भार ग्रहण नहीं करता है या अध्यक्ष अपना पद पुनः ग्रहण करता तब तक ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(2) यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या उपाध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित है या अपने पद के कर्त्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है तो जब तक यथास्थिति नया उपाध्यक्ष पद ग्रहण नहीं करता या उपाध्यक्ष पद पुनः ग्रहण नहीं करता, तब तक ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन उस अन्य सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार निर्देश दे।

10. **व्यावृति.**—उन विषयों के संदर्भ में जो कि इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते के संदर्भ में :—

(क) अध्यक्ष उन नियमों या आदेशों द्वारा शासित होगा जो संघ के उप मंत्री पर लागू है, और

(ख) उपाध्यक्ष और सदस्यगण उन नियमों या आदेशों द्वारा शासित होंगे जो भारत सरकार के सचिव पर लागू हैं।

11. **अवशिष्ट उपबंध.**—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तों संबंधी ऐसे मामले जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं बनाया गया है, इसके निर्णय के लिए प्रत्येक मामले को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया गया निर्णय आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों पर बाध्य होगा।

[फा. सं. 11023/1/94-एस सी डी-1]

ए. के. चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 1998

G.S.R. 569(E).—In exercise of the powers conferred by sub-secton (1) read with clause (a) of sub-section (2) of section 15 of the National Commission for Safai Karamcharis Act, 1993 (64 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short-title and commencement.—(1) These rules may be called the National Commission for Safai Karamcharis Chairperson, Vice-Chairperson and Members (Conditions of Service) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Commission for Safai Karamcharis Act, 1993 (64 of 1993);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;

(c) "Commission" means the National Commission for Safai Karamcharis constituted under section 3;

(d) "Member" means a Member of the Commission;

(e) "section" means a section of the Act;

(f) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Commission.

3. **Rank and status.**—(1) The Chairperson shall have the status of a Union Deputy Minister.

(2) The Vice-Chairperson and Members shall have the rank of Secretary to the Government of India.

4. **Salaries and allowances.**—(1) The Chairperson shall be entitled to monthly salary and allowances at the same rate as is admissible to a Union Deputy Minister.

(2) The Vice-Chairperson and Members shall receive pay and allowances as is admissible to secretary to the Government of India.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), if the Chairperson, Vice-Chairperson or any other Member is a Member of Parliament, or a State Legislature, he shall not be entitled to any remuneration other than the allowances, defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or as the case may be, other than the allowances, if any, which a Member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for Membership of the State Legislature receive without incurring such disqualification.

5. **Accommodation.**—The Chairperson, Vice-Chairperson and Members shall be eligible to the use of the government accommodation, as admissible under the relevant rules governing such accommodation, subject to availability.

6. **Travelling Allowances.**—The Chairperson shall be entitled to travelling allowances and daily allowances in respect of journeys performed by him in connection with the work of the commission at the rates as are admissible to a Union Deputy Minister and the Vice-Chairperson and Members shall be entitled to these allowances at the rates admissible to those of a Secretary to the Government of India.

7. **Leave.**—The Chairperson, Vice-Chairperson and every Member shall be entitled to leave as follows—

(a) earned leave, half pay leave and commuted leave in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 as amended from time to time, and,

(b) extraordinary leave as admissible to temporary Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 as amended from time to time.

8. **Provision for retired persons appointed as Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission.**—Where a person retired from service under the government or any local body or authority owned or controlled by the Government, is appointed as Chairperson, Vice-Chairperson or a Member after such retirement, the salary admissible shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits. If a person is appointed on re-employment basis, his pay shall be regulated as per the Central Civil Services (Fixation of Pay of Reemployed Pensioners) Orders, 1986 as amended from time to time.

9. **Arrangement in case of permanent or temporary vacancies.**—(1) If the office of the Chairperson becomes vacant or if the Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until the new Chairperson assumes office or the Chairperson resumes his office, as the case may be, be discharged by the Vice-Chairperson.

(2) If the office of the Vice-Chairperson becomes vacant or if the Vice-Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until the new Vice-Chairperson assumes office, or the Vice-Chairperson resumes his duties, as the case may be, be discharged by such other Member as the Central Government may direct.

10. **Saving.**—In respect of any matter not covered by these rules,—

(a) the Chairperson shall be governed by such rules or orders as may be applicable to a Union Deputy Minister, and

(b) the Vice-Chairperson and Members shall be governed by such rules or orders as may be applicable to a secretary to the Government of India.

11. **Residuary provision.**—Matter relating to the conditions of service of the Chairperson, Vice-Chairperson or other Members with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the commission.

[F. No. 11023/1/94-SCD. I]

A.K. CHOUDHARY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998

IndiaCode